न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. 198/23 पप्पू कुमार बनाम गिरधारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण को सुना गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम शिवनगर पटवार हल्का डेहरा जोहड़ी के वर्तमान खाता संख्या 12 तथा ग्राम बंधावाला भोपालपुरा पटवार हल्का डेहरा जोहड़ी के खाता संख्या 35, 36 में वादीगण राजस्व रेकार्ड में पप्पूराम पुत्र धूड़ाराम के स्थान पर पप्पू कुमार सैनी पुत्र गिरधारी लाल सैनी एवं रामनारायण पुत्र भगवानाराम के स्थान पर रामनारायण सैनी पुत्र गिरधारी लाल सैनी दुरूस्त करवाने की घोषणा चाहते है।

उक्त खाता संख्या में दर्ज भूमियां प्रार्थीगण को गिरधारीलाल पुत्र मांगू द्वारा वसीयत करने से प्राप्त हुई है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा वसीयत पर विस्तृत सुनवाई की जाकर दिनांक 30.9.2019 को निर्णय पारित कर नामान्तकरण दर्ज किये गये है। नामान्तकरण के आधार पर वर्तमान जमाबंदियों में सही अंकन किया गया है। वादीगण का वाद बाबत रिकार्ड दुरूस्ती की घोषणा का प्रमाणित नहीं हो रहा है। वादीगण द्वारा अपने वाद के तथ्यों को प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहे है। प्रस्तुत साक्ष्य से वादीगण को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 11:53:34 IST
Reason: SelfAttested